उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8
संख्या– 1219 /आठ–8–18–11एलयूसी/2018
लखनऊ : दिनांकः 24 अगस्त, 2018

सूचना

चूंकि राज्य सरकार आगरा विकास प्राधिकरण की महायोजना–2021 में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है, करना चाहती है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम–1974) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(3) के उपबंधों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्ति एवं सुझाव उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को संबोधित और लिखित रूप से तीन प्रतियों में प्रेषित किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर प्राप्त होगें।

अनुसूची

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील/जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	आगरा महायोजना–2021 के अन्तर्गत जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1	ककरैठा	तहसील– सदर, जिला–आगरा	610	348.375 वर्ग मी0	इण्टर कालेज	सामुदायिक सुविधायें

24/8/2018

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

Dhara-13(3)-18